

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-विविध(सतर्कता)-10/2017-
प्रेषक,

1753 खाद्य, पटना/दिनांक-16/04/19

Speed Post
E-Mail

भरत कुमार दुबे, भा0प्र0से0
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :- राज्य में गठित सतर्कता/निगरानी समिति एवं अनुमंडल स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति की बैठक में नामित जन प्रतिनिधि को भाग लेने के सम्बन्ध में।

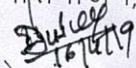
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा लाभकों को वितरण किये जाने वाले खाद्यान्न एवं किरासन तेल के उठाव/वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाये रखने के लिए राज्य में सतर्कता/निगरानी समिति एवं अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि महिने में एक बार सतर्कता/निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित करने का प्रावधान है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-3614 दिनांक-25.07.2017 द्वारा गठित सतर्कता/निगरानी समिति की प्रत्येक माह बैठक का आयोजन किया जाय। आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए नामित जन प्रतिनिधि को निश्चित रूप से बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाय।

विश्वासभाजन,

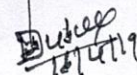

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- प्र07-विविध(सतर्कता)-10/2017-

1753

खाद्य, पटना/दिनांक-16/04/19

प्रतिलिपि - उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-2420 दिनांक-08.04.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।



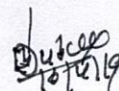
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- प्र07-विविध(सतर्कता)-10/2017-

1753

खाद्य, पटना/दिनांक-16/04/19

प्रतिलिपि - अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना एवं सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।